eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

पारदर्शिता और मौलिक अधिकार : सुशासन के लिए तकनीकी नवाचार की भूमिका

जय प्रकाश मिश्रा[1]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

Received: 26 Dec 2025 Accepted & Reviewed: 28 Dec 2025, Published: 31 December 2025

Abstract

आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, मौलिक अधिकारों की रक्षा और सुशासन की अवधारणा परस्पर अविभाज्य तत्व हैं। पारदर्शिता प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नागरिकों के लिए खुला और सुलभ बनाती है, जबकि मौलिक अधिकार शासन की सीमाएँ निर्धारित कर नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। 21वीं सदी में तकनीकी नवाचार – विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई–गवर्नेंस, और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन दोनों उद्देश्यों को एक नए आयाम में जोड़ दिया है। भारत में ''डिजिटल इंडिया'', ''ई–गवर्नेंस'' और RTI-2005 जैसी पहलों ने शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक–केंद्रित बनाया है। यह शोधलेख गंभीर मीमांसा करता है कि तकनीकी नवाचार किस प्रकार पारदर्शिता और मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ कर सुशासन की दिशा में योगदान दे रहे हैं। साथ ही, यह अध्ययन डिजिटल असमानता, डेटा सुरक्षा, निजता और प्रशासनिक संरचना जैसी चुनौतियों की भी समीक्षा करता है। लेख का निष्कर्ष यह स्थापित करता है कि तकनीकी नवाचार तभी वास्तविक सुशासन को सशक्त **बना सकते हैं** जब वे पारदर्शिता के साथ–साथ नागरिकों के अधिकारों की गरिमा और निजता की रक्षा सुनिश्चित करें। इस प्रकार, तकनीक और नैतिक प्रशासन का संतुलित समन्वय ही सशक्त लोकतंत्र और सुशासन की कुंजी है।

मुख्य शब्द– पारदर्शिता, मौलिक अधिकार, सुशासन, तकनीकी नवाचार, ई–गवर्नेंस, डिजिटल जवाबदेही, सूचना का अधिकार, डेटा संरक्षण

Introduction

लोकतांत्रिक शासन की सफलता का मूल तत्व पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में निहित है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सुशासन का तात्पर्य केवल प्रशासनिक दक्षता से नहीं, बल्कि सम्यक रूप से नागरिक अधिकारों का संरक्षण और उनके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से है। 21वीं सदी में तकनीकी नवाचारों जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई–गवर्नेंस, डेटा विश्लेषण, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शासन प्रणाली को नई दिशा दी है।

इन नवाचारों ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और नागरिकों को शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। शोधलेख का उद्देश्य यह समीक्षा करना है कि पारदर्शिता और मौलिक अधिकारों की स्थापना में तकनीकी नवाचार किस प्रकार सुशासन को सशक्त बना रहे हैं, तथा इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं।

पारदर्शिता की अवधारणा और उसका संवैधानिक आधार –

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक ऐसा शासन स्थापित करना है जो न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह हो। सुशासन (Good Governance) का अर्थ केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। आधुनिक युग में तकनीकी नवाचार इस उद्देश्य की प्राप्ति का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा है। यह सुनिश्चित करती है कि शासन की नीतियाँ, निर्णय और प्रक्रियाएँ जनता के लिए सुलभ हों। भारत में पारदर्शिता का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 19 (1) (a) **में** निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

अधिकार प्राप्त है। इसी आधार पर वर्ष 2005 में "सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) लागू किया गया, जिसने शासन की गोपनीयता की परंपरा को तोड़कर नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाया।

मौलिक अधिकार लोकतंत्र के स्तंभ हैं। ये नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और जीवन की गरिमा का अधिकार देते हैं। सुशासन तभी संभव है जब ये अधिकार सुरक्षित हों और शासन नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो। तकनीकी नवाचारों ने इन अधिकारों की रक्षा में नई संभावनाएँ खोली हैं। उदाहरण के लिए, ई–गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया मिशन, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जैसी पहलें नागरिकों को शासन से सीधे जोड़ती हैं। इनसे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण संभव हुआ है।

प्रशासनिक दक्षता के साथ–साथ तकनीकी नवाचारों ने न्याय तक पहुँच को भी सरल बनाया है। e-Courts Project, Digital Lok Adalat, और Virtual Hearings जैसी व्यवस्थाओं ने नागरिकों को न्याय प्रणाली तक त्वरित पहुँच प्रदान की है। साथ ही, नागरिक अब ऑनलाइन मंचों जैसे MyGov या CPGRAMS के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे सरकार तक पहुँचा सकते हैं। यह नागरिक सशक्तिकरण का एक उदाहरण है जो सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, तकनीकी नवाचारों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। जैसे डिजिटल असमानता (Digital Divide) साइबर अपराध, डेटा दुरुपयोग और निजता का खतरा। के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी पारदर्शिता के साथ नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का संतुलन आवश्यक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि पारदर्शिता, मौलिक अधिकार और तकनीकी नवाचार तीनों मिलकर सुशासन की मजबूत नींव तैयार करते हैं। यदि तकनीक का उपयोग नैतिकता, समानता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के साथ किया जाए, तो यह शासन को अधिक जवाबदेह, कुशल और नागरिक–केंद्रित बना सकती है। इस प्रकार, तकनीकी नवाचार केवल सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक परिवर्तन का औजार बन चुका है, जो पारदर्शिता और अधिकार–संरक्षण के माध्यम से सुशासन के आदर्श को साकार कर रहा है।

मौलिक अधिकार और सुशासन का पारस्परिक संबंध

मौलिक अधिकार और सुशासन एक लोकतांत्रिक राज्य की दो ऐसी अवधारणाएँ हैं जो नागरिक जीवन की गुणवत्ता और शासन की नैतिकता को निर्धारित करती हैं। भारत के संविधान ने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, वे न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, बल्कि शासन की दिशा को भी लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाते हैं। दूसरी ओर, सुशासन का उद्देश्य है ऐसा प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितापूर्ण और न्यायसंगत हो। जब ये दोनों तत्व एक साथ काम करते हैं, तो एक बेहतर नागरिक समाज निर्मित होता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे– समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) शासन में भेदभाव पर नियंत्रण लगाता है। इसी प्रकार, स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, संगठित होने और आवाज उठाने की स्वतंत्रता देता है जो सुशासन की सबसे बड़ी शर्त है। एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन तभी संभव है जब नागरिक निर्भीक होकर अपनी राय व्यक्त कर सकें और शासन की नीतियों पर रचनात्मक आलोचना कर सकें। सुशासन का मूल तत्व accountability और transparency है, जो मौलिक अधिकारों के माध्यम द्वारा ही सुनिश्चित होते हैं। सूचना का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) से उत्पन्न हुआ, शासन में पारदर्शिता का आधार बन चुका है। जन–सूचना संबंधी अधिकार प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाया। यही पारदर्शिता सुशासन की आत्मा है।

न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है और प्रशासनिक तंत्र को संवैधानिक मर्यादाओं में रहने के लिए बाध्य करती है। यह नियंत्रण तंत्र शासन को उत्तरदायी बनाता है। मौलिक अधिकार शासन को मानवोन्मुख और संवेदनशील बनाए

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

रखते हैं। सुशासन द्वारा राज्य तय करता है कि मौलिक अधिकारों का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। जब शासन भ्रष्टाचार–मुक्त, सेवा–केन्द्रित और न्यायपूर्ण होता है, तभी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रभावी रूप से उपभोग कर सकता है। इसीलिए, सुशासन मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की शर्त है, जबकि मौलिक अधिकार सुशासन के लिए नैतिक और संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

अतः स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार और सुशासन परस्पर पूरक हैं। जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति को गरिमा, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, वहीं सुशासन उन अधिकारों को जीवन के व्यवहारिक स्तर पर साकार करता है। दोनों के बीच संतुलन और सहयोग ही लोकतंत्र की सच्ची आत्मा है।

तकनीकी नवाचार और शासन में उसका उदय सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) के तीव्र विकास ने शासन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। भारत सरकार की ''डिजिटल इंडिया'', ''ई–गवर्नेंस'', ''मेक इन इंडिया'', और ''स्मार्ट सिटी'' जैसी योजनाएँ तकनीकी नवाचारों को शासन में समाहित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुई हैं।

ई–गवर्नेंस (E-Governance) का आशय है – सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और जन–सुलभ बनाना। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण संभव हुआ। आधार, जन धन योजना, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी योजनाओं ने तकनीकी माध्यम से नागरिकों तक लाभ प्रत्यक्ष पहुँचाने में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नई मिसालें कायम की हैं।

पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में तकनीकी नवाचार की भूमिका

तकनीकी नवाचारों ने शासन की पारदर्शिता को कई स्तरों पर सुदृढ़ किया है –

1. *सूचना की सुलभता* – वेबसाइटों और ऑनलाइन पोर्टलों के द्वार सरकारी आँकाडे नीतियाँ और निर्णय अब आम नागरिकों की पहुँच में हैं।
2. *ई–ऑफिस और फाइल ट्रैकिंग* – इससे फाइलों की गति ट्रैक की जा सकती है, ताकि सुशासन में वृद्धि हो सके।
3. *ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली* – जैसे CPGRAMS, MyGov, e-Samadhan आदि ने नागरिकों को सीधे शासन से जोड़ दिया है।
4. *डिजिटल ऑडिट और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया* – तकनीक आधारित e-tendering ने सरकारी खरीद–फरोख्त में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है।
5. *खुले डेटा* (Open Data) - सरकारी डेटा को सार्वजनिक करने से नागरिक शोध, पत्रकारिता और सामाजिक निगरानी में सक्रिय भागीदार बने हैं।
6. इस प्रकार तकनीकी नवाचार ने शासन के ''काले बक्से'' को ''खुले मंच'' में बदल दिया है।

मौलिक अधिकारों की रक्षा में तकनीकी नवाचार की भूमिका

तकनीक ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में भी अहम योगदान दिया है –

1. *न्याय तक पहुँच* – e-Courts Mission Mode Project ने अदालतों की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया, जिससे न्याय सस्ता, सुलभ और त्वरित हुआ।
2. *अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता* – सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने नागरिकों को अपनी बात कहने का अवसर दिया, जिससे लोकतंत्र अधिक सहभागी बना।
3. *निजता का अधिकार* – सुप्रीम कोर्ट ने के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके बाद डेटा सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में अनेक नीतियाँ बनीं।
4. ***RTI** का सफल उपयोग* – ऑनलाइन RTI पोर्टलों ने सूचना माँगने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

इन पहलों ने नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय तक पहुँच को तकनीकी रूप से सशक्त किया है।

तकनीकी नवाचार और सुशासन का संबंध –

सुशासन (Good Governance) *के आठ मानक* – भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रतिसाद, समानता, दक्षता और सहमति – तकनीकी नवाचारों से ये तत्व बेहतर हुए हैं। ई–गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं ने प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाई है, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित किया गया है और नीतियों का त्वरित मूल्यांकन संभव किया है। उदाहरणस्वरूप.– Aarogya Setu App, UMANG, Digi Locker, e-Office और Bhulekh Portals जैसे प्रयोगों ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रमाणिक बनाया।

21वीं सदी के इस डिजिटल युग में तकनीकी नवाचार (Technological Innovation) सुशासन (Good Governance) का आधार स्तंभ बन चुका है। सुशासन का अर्थ है – ऐसा शासन जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितापूर्ण और जनकल्याणकारी हो। तकनीकी प्रगति ने प्रशासनिक व्यवस्था को न केवल अधिक कुशल बनाया है, बल्कि नागरिकों और शासन के बीच संवाद का सेतु भी मजबूत किया है। आज शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, त्वरित सेवा वितरण, ई–गवर्नेंस, डिजिटल डेटा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता, तकनीकी नवाचार की ही देन हैं। तकनीकी नवाचार ने शासन की पारंपरिक संरचना को आधुनिक स्वरूप दिया है। पहले जहाँ सरकारी प्रक्रियाएँ जटिल और समय–साध्य थीं, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें सरल और सुलभ बना दिया है। विशेषरूप से *ई–गवर्नेंस, आधार प्रणाली, ऑनलाइन सेवा पोर्टल, और मोबाइल ऐप* आधारित प्रशासन ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ दिया है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही भी बढ़ी है।

सुशासन के मूल सिद्धांतों को साकार करने में तकनीकी नवाचार ने निर्णायक भूमिका निभाई है। डिजिटल माध्यमों से दस्तावेजों, योजनाओं और निर्णयों को सार्वजनिक किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, RTI पोर्टल, MyGov प्लेटफॉर्म और पब्लिक डेटा पोर्टल्स के द्वारा जनसहभागिता मेंवृद्धि की जा सकती है।

तकनीकी नवाचार ने सेवा वितरण की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी योजना ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिससे लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचता है। इसी प्रकार, डिजिलॉकर, उमंग ऐप और ऑनलाइन ग्रिवेंस रिड्रेसल सिस्टम ने शासन को नागरिक–केंद्रित बनाया है। इससे शासन की वैधता बढ़ी है और नीति निर्माण अधिक प्रमाण–आधारित हुआ है। हालाँकि, तकनीकी नवाचार के साथ चुनौतियाँ भी हैं जैसे डिजिटल असमानता, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और तकनीकी साक्षरता की कमी। यदि इन मुद्दों का समाधान कर दिया जाय तो सुशासन मजबूत हो सकता है।

अंततः कहा जा सकता है कि तकनीकी नवाचार और सुशासन परस्पर पूरक हैं। जहाँ तकनीक शासन को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाती है। तकनीकी नवाचार न केवल प्रशासनिक सुधार का उपकरण है, बल्कि एक सशक्त, समावेशी लोकतंत्र के निर्माण का माध्यम है। सूचना प्रौद्योगिकी, ई–गवर्नेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा Data Analysis ने शासन को अधिक स्पष्ट, त्वरित और सहभागी बनाया है। किंतु इन लाभों के साथ–साथ अनेक जटिल चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। इस प्रकार तकनीक सुशासन का अभिन्न घटक बन चुकी है – जहाँ शासन न केवल जनता के लिए, बल्कि जनता के साथ मिलकर कार्य करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ और सीमाएँ

- *डिजिटल असमानता* (Digital Divide) - भारत जैसे विकासशील देश में तकनीकी साधनों तक पहुँच असमान रूप से वितरित है। ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, वृद्ध नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

और डिजिटल शिक्षा की कमी है। इससे पारदर्शिता की प्रक्रिया केवल शहरी और शिक्षित वर्ग तक सीमित रह जाती है। परिणामस्वरूप 'डिजिटल लोकतंत्र' अल्पतंत्रीय हो जाता है जा सुषासन के समानता के विपरित है।

- *डेटा गोपनीयता और निजता का संकट* (Privacy Concerns) - तकनीकी नवाचारों के माध्यम से नागरिकों की निजी सूचनाएँ – जैसे आधार, बैंकिंग विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा आदि शासन के डेटाबेस में संग्रहीत होती हैं। यदि इन सूचनाओं का दुरुपयोग हो या इन पर साइबर हमला हो, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार मुख्य रूप से *गोपनीयता का अधिकार* (Right to Privacy) खतरे में पड़ सकता है।
- ***साइबर सुरक्षा की कमजोरी*** (Cyber Security Threats) - ई–गवर्नेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, और डिजिटल स्वास्थ्य जैसी सुविधराओं में वृद्धि हुई है लेकिन हैकिंग, डेटा लीक, फिशिंग, और डिजिटल फ्रॉड जैसी घटनाएँ नागरिकों के विश्वास को कम करती हैं। यदि नागरिकों को यह भरोसा न रहे कि उनका डेटा सुरक्षित है, तो पारदर्शिता की पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय बन जाती है।

संस्थागत एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ

- *प्रशासनिक दक्षता की कमी* – कई सरकारी विभाग अभी भी पारंपरिक कार्य प्रणाली पर आधारित हैं। कर्मचारियों में तकनीकी दक्षता की कमी के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। अक्सर ई–गवर्नेंस परियोजनाएँ 'पेपरलेस' होने की बजाय 'पेपर–प्लस' बन जाती हैं। यानी तकनीक जुड़ती है, पर पुरानी प्रक्रिया बनी रहती है।
- *नीतिगत अस्पष्टता* – भारत में पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों से संबंधित अनेक नीतियाँ बनी हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अक्सर असंगत रहता है।
- RTI-2005 नागरिकों को शासन में पारदर्शिता देता है, पर डिजिटल डेटा शेयरिंग की नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं कि कौन–सा डेटा सार्वजनिक हो सकता है और कौन–सा निजी रहना चाहिए।
- *तकनीकी केंद्रीकरण* – कई बार तकनीकी नियंत्रण कुछ बड़े सरकारी या निजी संस्थानों तक सीमित रह जाता है। इससे शासन में केंद्रीकरण बढ़ता है, जो लोकतांत्रिक पारदर्शिता की भावना के विपरीत है। डेटा का केंद्रीकरण नागरिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को कमजोर करता है।

सामाजिक और नैतिक समस्याएँ

- *नैतिक दुविधाएँ* (Ethical Dilemmas) तकनीकी पारदर्शिता और नागरिक निजता के बीच संतुलन स्थापित करना आज की सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है। सरकार के लिए निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि किस हद तक डेटा साझा किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, और किस हद तक निजता की रक्षा की जाए ताकि मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।
- *तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता* (Over-Reliance on Technology) - सुशासन के क्षेत्र में अत्यधिक तकनीकी निर्भरता कभी–कभी मानवीय संवेदनशीलता को कमजोर कर देती है। मशीन आधारित निर्णय–प्रक्रियाएँ भावनात्मक व सामाजिक जटिलताओं को समझने में अक्षम रहती हैं। यदि शासन केवल डेटा–संचालित हो जाए और मानवीय पहलू गौण पड़ जाए, तो नागरिक अधिकार असुरक्षित हो जाते हैं।
- *डिजिटल साक्षरता की कमी* (Lack of Digital Literacy) - पारदर्शिता और सुशासन का लाभ तभी संभव है जब नागरिक डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग करना जानें। परंतु भारत की बड़ी आबादी तकनीकी साक्षरता से वंचित है, जिससे वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अधिकारों और सहायता तंत्र का प्रयोग नहीं कर पाते।

विधिक और नीति –

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

- *डेटा संरक्षण कानून की अपर्याप्तता* – यद्यपि Digital Personal Data Protection Act 2023 लागू हुआ है, पर उसकी व्याख्या और प्रवर्तन अभी शुरुआती अवस्था में है।
- *साइबर अपराध पर नियंत्रण की सीमाएँ* – प्रशासनिक व सुरक्षा तंत्र में ICT के ज्ञान अभाव है जिससे साइबर अपराधों की जाँच में देरी होती है।
- *सूचना का असमान प्रवाह* – कई सरकारी वेबसाइटों और पोर्टलों पर सूचनाएँ अधूरी या अद्यतन नहीं होतीं, जिससे पारदर्शिता की भावना कमजोर होती है।

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत सुझाव –

1. *डिजिटल साक्षरता का प्रसार* – नागरिकों को तकनीक का प्रभावी ज्ञान देना।
2. *साइबर सुरक्षा नीति का सुदृढ़ीकरण* – डेटा संरक्षण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन।
3. *ई–गवर्नेंस का विकेन्द्रीकरण* – स्थानीय निकायों तक तकनीकी सेवाओं का विस्तार।
4. *पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप* – तकनीकी कुशलता एवं विशिष्ट ज्ञान के साझा उपयोग से प्रशासनिक नवाचारों को गति देना।
5. *नैतिक और पारदर्शी डिजिटल नीति* – नागरिक हित संरक्षण और तकनीकी निगरानी में संतुलन बनाए रखना।

निष्कर्ष –

पारदर्शिता, मौलिक अधिकार और सुशासन तीनों एक–दूसरे के पूरक हैं। तकनीकी नवाचारों ने शासन को ''जन–केंद्रित'' और ''अधिकार–संरक्षित'' बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। डिजिटल माध्यमों ने सूचना को लोकतांत्रिक बनाया, नागरिकों को सशक्त किया और शासन को जवाबदेह ठहराया। हालाँकि, तकनीकी प्रगति के साथ निजता, सुरक्षा और समानता की चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इसलिए आवश्यक है कि तकनीकी नवाचार केवल दक्षता का माध्यम न बनें, बल्कि वे मानव अधिकारों की गरिमा और लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा का उपकरण भी बनें। अंततः तकनीकी विकास उत्कृष्ट शासन का आधार सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Bhattacharya, M. (2019). Public Administration : Theoretical and Applied Perspectives. New Delhi : Jawahar Publishers - Distributors.
2. Basu, R. (2018). Public Administration : Concepts and Theories (5th ed.). New Delhi : Sterling Publishers.
3. Government of India. (2005). The Right to Information Act, 2005. New Delhi : Ministry of Law and Justice.
4. Jain, R. B. (2020). Governance and Good Governance : A Study of Indian Administrative System. New Delhi : Deep - Deep Publications.
5. Kaul, M. (2017). E-Governance and Digital India: Concepts and Initiatives. New Delhi : Kanishka Publishers.
6. Mishra, S. K. (2021). Technology and Good Governance in India : Challenges and Prospects. New Delhi : Concept Publishing Company.
7. Mohanty, P. K. (2014). E-Governance in India : A Reality Check. New Delhi : Kalpaz Publications.
8. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1 (Supreme Court of India).
9. Sen, A. (2009). The Idea of Justice. London : Penguin Books.

10. Sharma, M. P., - Sadana, B. L. (2016). Public Administration in Theory and Practice. New Delhi : Kitab Mahal.
11. Singh, A. (2022). Transparency and Accountability in Governance: Indian Context. Jaipur : Rawat Publications.
12. United Nations Development Programme (UNDP). (2002). Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: Oxford University Press.
13. World Bank. (2017). World Development Report 2017: Governance and the Law. Washington, DC : World Bank Publications.
14. Yadav, R. S. (2020). Information Technology and Public Service Delivery in India. Lucknow: New Royal Book Company.
15. Zafarullah, H., - Huque, A. S. (2018). Managing Development in a Globalized World: Concepts, Processes, Institutions. London: Routledge.